814 809

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	18a94b16256e1dfff87d
Receipt Date :	19-Dec-2022 09:44:00 am
Receipt Amount :	22000/-
Amount In Words :	Twenty Two Thousands Rupees Only
Token Number :	20220000150690
Office Name :	SRO - Simdega
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	MANOJ BARA (Vendee)
GRN Number :	2214837653

20.12.22

-: For Office Use :-

22.12.22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्व में किसी प्रकार की सेवा नहीं ली गई है।

Manoj Bara
22.12.22

17/12/22

Fee Paid
A1 ......16500/-......
Land Lord Fee ......03/-......
Process Fee ......01/-......

Valuation Per Decimals
Land ......78571/-......

22.12.29

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

सिलबिया बड़ा 17/12/22

विक्रय–पत्र

(परमीशन वाद संख्या 164/2022–23 दिनांक 12.12.2022 CNT.46 Act के तहत)

(1) लेख्यकारिणी :– श्रीमती **सिलबिया बड़ा** उम्र 81 वर्ष पति स्व0 विलियम बड़ा पिता स्व0 जोसेफ टोप्पो दादा स्व0 जटु उरांव श्रेणी **S.T.**(C.N.T.Act 1908 के अन्तर्गत है) पेशा गृहिणी साकिन मौजा सिमडेगा घोचोटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा राज्य झारखण्ड राष्ट्रीयता भारतीय **M.No. 6202506669 UID No. XXXX XXXX 4084 PAN BRNPB4354B** ....विक्रेतिका।

शपथ–पत्र संख्या ......551/2022.../2022

(2) लेख्यधारी :–श्री **मनोज बाड़ा** उम्र 41 वर्ष पिता स्व0 विलियम बाड़ा दादा बन्धु गतियस उरांव श्रेणी **S.T.**(C.N.T.Act 1908 के अन्तर्गत है) पेशा नौकरी साकिन मौजा सिमडेगा घोचोटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा राज्य झारखण्ड राष्ट्रीयता भारतीय **M.No 797981804 UID No. XXXX XXXX 6459 PAN BGJPB1389P** ------552/2022--क्रेता।

शपथ–पत्र संख्या ..../2022

किशोर कुमार पिता स्व. कालीनाथ कुमार
साकिन- जोनापाती पोस्ट- केरसई
जिला- सिमडेगा थाना- सिमडेगा (झारखंड)
17/12/22

मूल पहचान पत्र, एवं अन्य प्रमाण पत्र से मिलान किया, सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया गया।

रीता भाटिया [illegible]
17/12/22
22-12-22

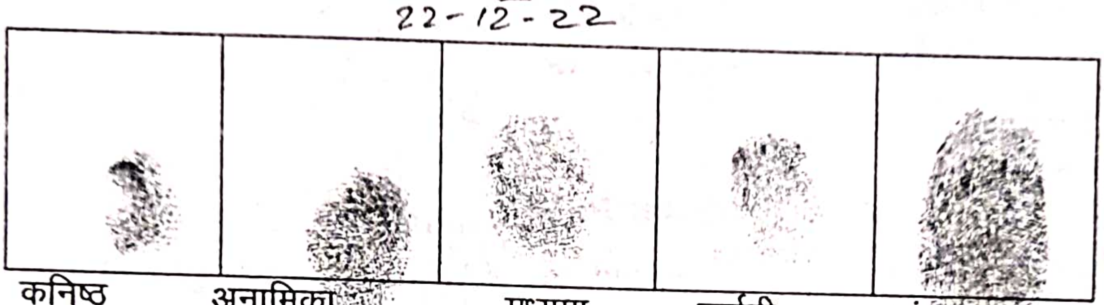

कनिष्ठ | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अंगूठा

[illegible] के अनुसार
[illegible] विवरण कार्यालय
[illegible] लेख्यकारी या लेख्यधारी
[illegible] उनके मुख्तार को सन् .... है
[illegible] .... है
[illegible] .... के लिखा गया
[illegible] द्वारा प्रमाणीकृत है)
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]
[illegible] .... थाना .... [illegible]
[illegible] .... [illegible]

[illegible]

(3) लेख्य प्रकार :– विक्रय–पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र–पुत्रादिक आल औलाद हमेशा के लिए।

(4) मूल्य :–मोवलिग पांच लाख पचास हजार रूपये अंके 5,50,000/– रूपये।

(5) सम्पति :– **संरचना रहित आवासीय भूमि**

क्रसं.	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं.	खातानं.	प्लाट नं.	रकवा
1.	सिमडेगा	सिमडेगा	सलडेगा	117	37	796	0.07 ए.

एराजियात साढ़े सात डिसमिल अंके 0.07 एकड़ हकियत रैयती मय दखली खतियानी वाके मौजा सलडेगा वार्ड नं0 14 थाना नं0 117 थाना सिमडेगा सब रजिस्ट्री ऑफिस सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा अन्दर खाता नं0 37 (सैंतीस) प्लाट नं0 796 (सात सौ छेयानब्बे) रकबा 0.21½ एकड़ में से 0.07 एकड (सात डिसमिल) । जमीन का माप

उत्तर की ओर पूरब–पश्चिम 39'

दक्षिण की ओर पूरब–पश्चिम 39'

पूरब की ओर उत्तर–दक्षिण 76'

पश्चिम की ओर उत्तर–दक्षिण 81' है जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :– अमित केरकेट्टा वगैरह का टांड़,

दक्षिण :– हेरमन कुल्लू का मकान,

पूरब :– इसी प्लाट का अंश,

पश्चिम :–इसी प्लाट का अंश।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.07 एकड़ सिर्फ। लगान 1.00 रू0 प्रति वर्ष अलावे सेस। वर्णित विक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय है। उक्त जमीन पर मकान, या पेड़ पौधा नहीं है। उक्त जमीन को पूर्व में किसी व्यक्ति को बिक्री, बंधक, एकरारनामा, लीज या दान नहीं किया गया है। जिसका हॉल्डिंग नं0 016000420000M0 है।

(1) चूंकि मुझ लेख्यकारिणी को मकान निर्माण करने के लिए रूपयों की सख्त आवश्यकता है और जमीन बिक्री वगैर रूपये प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है अतः मैंने लेख्यधारी को उपरोक्त वर्णित मेरे हिस्से की जमीन खरीद लेने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया।

(2) चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी वो लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित रैयत हैं इसलिए जमीन बिक्री के पूर्व आवश्यक अनुमति हेतु सी0एन0टी0 एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 164/2022–23 श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृत्यादेश दिनांक 12.12.2022 को हुई और मेमो नं0 740 (ii) रेव0 दिनांक 12.12.2022 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।

(3) इसलिए अपनी इच्छा से वो मन की स्वस्थता में रह कर ऊपर खाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो0 5,50,000/– रूपये कई किश्तों में नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारी श्री मनोज बाड़ा के पास बिक्री कर दी और यह विक्रय–पत्र केवाला दस्तावेज लिख दी कि प्रमाण रहे।

(4) मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरे पति स्व0 विलियम बड़ा की खरीदगी जमीन है जिसका केवाला संख्या 319 दिनांक 19.5.2001 है बुक नं0 1 भोल्यूम नं0 12 पृष्ट संख्या 179 से 188 तक है। अंचल कार्यालय, सिमडेगा द्वारा मेरे स्व0 पति विलियम बड़ा के नाम से दाखिल खारीज हुआ है जिसका दाखिल खारीज वाद संख्या 437R27/2001–2002 है। पंजी –II के पृष्ट संख्या 78 वोल्युम नं0 2 में मेरे पति विलियम बड़ा के नाम से जमाबंन्दी कायम है एवं ऑनलाईन मालगुजारी रसीद निर्गत होता है। पति के मृत्योपरान्त वर्णित जमीन मुझे उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त हुआ। जिस पर मेरा शान्ति पूर्वक दखल कब्जा है किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अथवा वारदेन नहीं है। अब से आईन्दे वह जमीन लेख्यधारी का रहा वो रहेगा । अब से उस पर मेरा कोई हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा न ही मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का।खतियान के अनुसार वर्णित जमीन कायमी है जो झीरगा खड़िया वगैरह के नाम नाप दर्ज है।

(5) चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान शहन आदि निर्माण करें वो जैसा मन चाहे अपने

उपयोग में लावें वो पुत्र–पुत्रादिक तक सुख भोग करें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी सिमडेगा से निश्चित् लगान का खास रसीद लिया करें।

सिलाबिया बड़ा
17/12/22

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन भू–हदबन्दी, कैसर–ए–हिन्द, खास महाल, भू–दान, गैरमजरूआ लीज या वन भूमि से संबंधित नहीं है।

मैं लेख्यकारिणी यह घोषणा करती हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही – विक्रेता सिलाबिया बड़ा
17/12/22

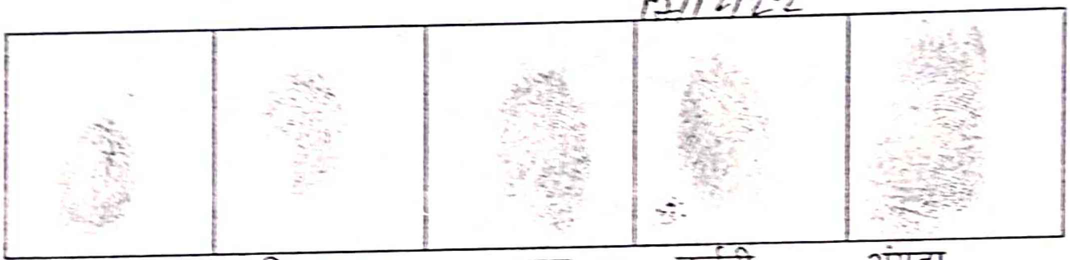

कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
17/12/22

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही – क्रेता Manoj Bara
17/12/22

मनोज बड़ा
अभिप्रमाणित
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
17/12/22

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
17/12/22

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
17/12/22

सही –पहचान कर्त्ता Kishore Kumar
17/12/22

17/12/22

निष्पादिका द्वारा
17/12/22

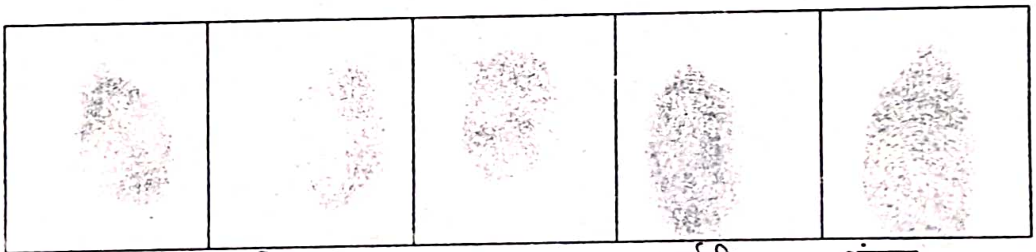

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि पहचानकर्ता के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
17/12/22

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय–पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया वो स्वयं भी पढ़ कर दस्तावेज स्वीकार किये।

साक्षी –

ता–

प्रारूप कर्त्ता 17/12/22

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 6 पृष्ठों में कुल 941 शब्द मुद्रित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है।

मुद्रक –

ह0/– 17/12/22

(नारायण दास)

कचहरी परिसर,सिमडेगा।

अनुलग्नक :–

1, शेडयुल की मूल प्रति।
2, जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।
3, खरीदगी पट्टा का छाया प्रति।
4, शूद्धि–पत्र का छाया प्रति।
5, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
6, खतियान की छाया प्रति।
7, हॉल्डिंग रसीद।
6, विलेज मैप की छाया प्रति।
7, ट्रैश मैप की मूल प्रति।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है व जो विवरणी दिया है सो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं गलत साजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

22-12-22

17/12/22